

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-एफ 13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 31.7.2014

आज्ञा

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)

विषय:- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित वर्ग के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दु।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 के द्वारा किसी भी अन्य प्रवृत्त आदेश या नियम या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं की रिक्तियों की क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां केवल अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से ही भरने तथा इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरने का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में उक्त प्रवर्गों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए उक्त आरक्षण के भली प्रकार अनुपालन के उद्देश्य से इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 24.08.1998 द्वारा निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के अतिक्रमण में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित क्षेत्र के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए रोस्टर बिन्दुओं का संशोधित परिशिष्ट एतद्द्वारा प्रचलित किया जाता है।

यहां यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां उसी क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जिस जिले या जिले के उपयोजना क्षेत्र/खण्ड की रिक्तियां हैं तथा उक्त पदों की सीधी भर्ती के प्रति ही उक्त आरक्षण लागू होगा, पदोन्नति पर नहीं।

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिले के उपयोजना खण्ड पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों का अवधारण वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रकल्पित किया जायेगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के उक्त श्रेणी के पदों एवं गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्रों (सामान्य) में के उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों की सीधी भर्ती से भरी जाने



- २ -

वाली रिक्तियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं विशेष पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के आधार पर पूर्व में प्रचलित रोस्टर के अनुसार ही होगा।

आज्ञा से,

*SNB*

(शैलेन्द्र श्रीमाली)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव-1, माननीया मुख्यमंत्री।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।

*SNB*

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

*SNB*

संयुक्त शासन सचिव

16/2014

परिशिष्ट

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दु :-

क्र. सं.	अनुसूचित जाति 5 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 45 प्रतिशत	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किया जाना चाहिए
1.	2.	3.	4.
1.	0.05	0.45	अनारक्षित
2.	0.10	0.90	अनारक्षित
3.	0.15	1.35	अ.ज.जा.-1
4.	0.20	1.80	अनारक्षित
5.	0.25	2.25	अ.ज.जा.-2
6.	0.30	2.70	अनारक्षित
7.	0.35	3.15	अ.ज.जा.-3
8.	0.40	3.60	अनारक्षित
9.	0.45	4.05	अ.ज.जा.-4
10.	0.50	4.50	अनारक्षित
11.	0.55	4.95	अनारक्षित
12.	0.60	5.40	अ.ज.जा.-5
13.	0.65	5.85	अनारक्षित
14.	0.70	6.30	अ.ज.जा.-6
15.	0.75	6.75	अनारक्षित
16.	0.80	7.20	अ.ज.जा.-7
17.	0.85	7.65	अनारक्षित
18.	0.90	8.10	अ.ज.जा.-8
19.	0.95	8.55	अनारक्षित
20.	1.00	9.00	अ.जा.-1
21.	1.05	9.45	अ.ज.जा.-9
22.	1.10	9.90	अनारक्षित
23.	1.15	10.35	अ.ज.जा.-10
24.	1.20	10.80	अनारक्षित
25.	1.25	11.25	अ.ज.जा.-11
26.	1.30	11.70	अनारक्षित
27.	1.35	12.15	अ.ज.जा.-12
28.	1.40	12.60	अनारक्षित
29.	1.45	13.05	अ.ज.जा.-13
30.	1.50	13.50	अनारक्षित
31.	1.55	13.95	अनारक्षित
32.	1.60	14.40	अ.ज.जा.-14

1.	2.	3.	4.
33.	1.65	14.85	अनारक्षित
34.	1.70	15.30	अ.ज.जा.-15
35.	1.75	15.75	अनारक्षित
36.	1.80	16.20	अ.ज.जा.-16
37.	1.85	16.65	अनारक्षित
38.	1.90	17.10	अ.ज.जा.-17
39.	1.95	17.55	अनारक्षित
40.	2.00	18.00	अ.जा.-2
41.	2.05	18.45	अ.ज.जा.-18
42.	2.10	18.90	अनारक्षित
43.	2.15	19.35	अ.ज.जा.-19
44.	2.20	19.80	अनारक्षित
45.	2.25	20.25	अ.ज.जा.-20
46.	2.30	20.70	अनारक्षित
47.	2.35	21.15	अ.ज.जा.-21
48.	2.40	21.60	अनारक्षित
49.	2.45	22.05	अ.ज.जा.-22
50.	2.50	22.50	अनारक्षित
51.	2.55	22.95	अनारक्षित
52.	2.60	23.40	अ.ज.जा.-23
53.	2.65	23.85	अनारक्षित
54.	2.70	24.30	अ.ज.जा.-24
55.	2.75	24.75	अनारक्षित
56.	2.80	25.20	अ.ज.जा.-25
57.	2.85	25.65	अनारक्षित
58.	2.90	26.10	अ.ज.जा.-26
59.	2.95	26.55	अनारक्षित
60.	3.00	27.00	अ.जा.-3
61.	3.05	27.45	अ.ज.जा.-27
62.	3.10	27.90	अनारक्षित
63.	3.15	28.35	अ.ज.जा.-28
64.	3.20	28.80	अनारक्षित
65.	3.25	29.25	अ.ज.जा.-29
66.	3.30	29.70	अनारक्षित
67.	3.35	30.15	अ.ज.जा.-30
68.	3.40	30.60	अनारक्षित
69.	3.45	31.05	अ.ज.जा.-31
70.	3.50	31.50	अनारक्षित
71.	3.55	31.95	अनारक्षित

1.	2.	3.	4.
72.	3.60	32.40	अ.ज.जा.-32
73.	3.65	32.85	अनारक्षित
74.	3.70	33.30	अ.ज.जा.-33
75.	3.75	33.75	अनारक्षित
76.	3.80	34.20	अ.ज.जा.-34
77.	3.85	34.65	अनारक्षित
78.	3.90	35.10	अ.ज.जा.-35
79.	3.95	35.55	अनारक्षित
80.	4.00	36.00	अ.जा.-4
81.	4.05	36.45	अ.ज.जा.-36
82.	4.10	36.90	अनारक्षित
83.	4.15	37.35	अ.ज.जा.-37
84.	4.20	37.80	अनारक्षित
85.	4.25	38.25	अ.ज.जा.-38
86.	4.30	38.70	अनारक्षित
87.	4.35	39.15	अ.ज.जा.-39
88.	4.40	39.60	अनारक्षित
89.	4.45	40.05	अ.ज.जा.-40
90.	4.50	40.50	अनारक्षित
91.	4.55	40.95	अनारक्षित
92.	4.60	41.40	अ.ज.जा.-41
93.	4.65	41.85	अनारक्षित
94.	4.70	42.30	अ.ज.जा.-42
95.	4.75	42.75	अनारक्षित
96.	4.80	43.20	अ.ज.जा.-43
97.	4.85	43.65	अनारक्षित
98.	4.90	44.10	अ.ज.जा.-44
99.	4.95	44.55	अ.जा.-5
100	5.00	45.00	अ.ज.जा.-45

नोट :- अनुसूची में चिन्हित प्रवर्ग निम्न प्रकार है :-

1. अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अनारक्षित निवासियों से हैं।
2. अ.जा. अनुसूचित जाति
3. अ.ज.जा. अनुसूचित जनजाति